रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर० ....

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

महोदयजी, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज, विक्रय पत्र, परिवार राशन कार्ड के आधार पर फुली देवी पत्नि अंगुराम यादव जाति-राजपूत के बजाय फुली देवी पत्नि अंगुराम यादव जाति-अहीर किया जाना प्रस्तावित है

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

दिनांक :-

क्रमांक : राजस्व / 2020 /

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है / उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / नहीं की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है।

तहसीलदार, उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

—: आदेश :—

दिनांक :— ....

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1.	छापोली	2075-78	483	फुली देवी पत्नि अंगुराम यादव जाति-राजपूत	फुली देवी पत्नि अंगुराम यादव जाति - अहीर

नोट :—शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

दिनांक :— 8/1/24

क्रमाक :— राजस्व / 2020 / 2126

प्रतिलिपि :—

1. तहसीलदार (भू०अ०) उदयपुरवाटी / गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ। ....को सूचनार्थ।
2. प्रार्थी / प्रार्थीया ....

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.09 12:29:56 IST
Reason: SelfAttested